

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या 26/2018 दायर दिनांक 21.12.2018 निर्णय दिनांक 3/9/19

1 खुशलाराम पुत्र लोंगराम जाति मेगवाल निवासी भोनासर (सोमेसर) तहसील शेरगढ
प्रार्थी

बनाम

- अचलाराम के कायम मुकाम
- 1/1 फूलीदेवी पत्नी अचलाराम
- 1/2 सोमाराम पुत्र अचलाराम
- 1/3 विशनाराम पुत्र अचलाराम
- 1/4 महेन्द्र पुत्र अचलाराम
- 1/5 नरपतराम पुत्र अचलाराम
- 1/6 गुड्डी पुत्री अचलाराम
- 1/7 रेसीदेवी पुत्री मूलाराम
- 1/8 मुकेश पुत्र मूलाराम
- 1/9 सुखाराम पुत्र मूलाराम
- 2 टाउराम पुत्र पेगाराम
- 3 धारूराम पुत्र लालूराम मेगवाल निवासी भोनासर (सोमेसर) तहसील शेरगढ
- 4 शंकरराम पुत्र लालूराम निवासी जेतसर
- 5 वलीदेवी पत्नी भैराराम
- 6 जेताराम पुत्र भैराराम
- 7 हंसाराम पुत्र भैराराम
- 8 खेगाराम पुत्र कोशलाराम
- 9 रामूराम पुत्र नेनाराम
- 10 सांगाराम पुत्र बुधाराम निवासी भोनासर सोमेसर
- 11 जीवनराम पुत्र मलाराम
- 12 गोखनराम पुत्र मलाराम
- 13 दीषाराम पुत्र मलाराम
- 14 धेवरराम पुत्र मलाराम
- 15 हरचंदराम पुत्र मलाराम
निवासी भोनासर सोमेसर
- 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम

अप्रार्थीगण



सहायक कमिश्नर शेरगढ
जिला जोधपुर

(2)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जेटूसिंह खीची उपस्थित ।
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री इन्द्राराम बोस उपस्थित
अप्रार्थी सख्या 16 राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ उपस्थित ।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी एवं प्रार्थी के सह खातेदारों के नाम से सयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम भोनासार पटवार हल्का सोमेरार भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 300.00 बीघा भूमि आई हुई है । जिसमें समय समय पर बेचान करने की हिस्साकसी गलत दर्ज हो गई है जबकी मौके पर प्रार्थी एवं सह खातेदारो द्वारा अपने कब्जे काशत अनुसार काशत करते आ रहे है ।

उपरोक्त खसरे की भूमि मे वर्तमान मे निम्न अनुसार खातेदारो का कब्जा काशत है जो अचलाराम, टाउराम पिता पेमाराम 34.00 बीघा, धारूराम, शंकरराम पिता लालूराम 22.06 बीघा, बाली देवी पत्नी भैराराम जैताराम, हंसाराम पिता भैराराम, खेमाराम , पिता कौशलाराम 44.14 बीघा, खेमाराम पिता कौशलाराम 15.00 बीघा व खुशलाराम पुत्र लौंगाराम 90.00 बीघा रामूराम पुत्र नैनाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम रामूराम पिता नैनाराम 12.00 बीघा, जीवनराम, गोरधनराम, दीपाराम, घेवरराम, हरचन्द्रराम पिता मलाराम 15.00 बीघा भूमि पर कांबिज काशत करते आ रहे है एवं इसी अनुसार सभी खातेदारो के हिस्से मे भूमि आती है परन्तु समय-समय पर बेचान, हस्तान्तरण होने से उक्त भूमि मे हिस्साकसी गलत दर्ज हो गई है जिसे शुद्ध किया जाकर उपरोक्त पैरे मे वर्णित हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है ।

प्रार्थी द्वारा राजस्व अभियान मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हिस्साकसी सही दर्ज करने का निवेदन किया था उस प्रार्थना पत्र पर भी तत्कालिन हल्का पटवारी की रिपोर्ट मे भी निम्न अनुसार हिस्सा शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई थी जो दिनांक 30.05.2018 की रिपोर्ट सलग्न है तथा जमाबन्दी मे हिस्सा गलत दर्ज होने से हर समय बार बार प्रार्थी एवं उसके सह खातेदारो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राजस्व रेकर्ड मे हिस्साकसी सही दर्ज किया जाना न्यायोचित है ।

खातेदारो रगू पत्नी नैनाराम फौत है जिसका वारीशान रामूराम पुत्र नैनाराम को अप्रार्थी बनाया गया है । ग्राम भोनासार के खसरा नं. 28 रकबा 300.00 बीघा भूमि मे प्रार्थी एवं उसके सह खातेदारान का निम्न अनुसार हिस्सा जो अचलाराम, टाउराम पिता पेमाराम 34.00 बीघा, धारूराम, शंकरराम पिता लालूराम 22.06 बीघा, बाली देवी पत्नी भैराराम जैताराम, हंसाराम पिता भैराराम, खेमाराम , पिता कौशलाराम 44.14 बीघा, खेमाराम पिता कौशलाराम 15.00 बीघा व खुशलाराम पुत्र लौंगाराम 90.00 बीघा रामूराम पुत्र नैनाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम रामूराम पिता नैनाराम 12.00 बीघा, जीवनराम, गोरधनराम,



[Handwritten signature]
सहायक अधिवक्ता शेरगढ

(3)

मूलराम, घेवरराम, हरचन्द्रराम पिता मलाराम 15.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हिस्साकरी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे एवं वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 1 से 7 व 9 से 15 की ओर जवाब पेश किया गया जिसमें बताया की प्रार्थी द्वारा समुक्त कृषि खातेदारी भूमि खेत खसारा नम्बर 28 रकबा 300 बीघा भोजा भोनासर पटवार हल्का सोमेसर स्थित सह खातेदारी भूमि में समय समय पर बेचान करने पर हिस्साकरी गलत दर्ज हो जाने व सह खातेदारी भूमि पर प्रार्थी व सह खातेदारों द्वारा अपने अपने कब्जा काशत अनुसार काशत करने का जो कथन किया है वह सही व स्वीकार्य है।

प्रार्थना पत्र के पद सख्या 2 में प्रत्येक खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि का कथन किया है वह स्वीकार्य है। तथा समय समय पर बेचान हस्तान्तरण करने पर खसारा नम्बर 28 रकबा 300 बीघा सरहद भोनासर पटवार हल्का सोमेसर में भूमि में हिस्साकरी गलत दर्ज हो गयी है। राजस्व अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर हिस्साकरी सही दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा हल्का पटवारी कि रिपोर्ट सम्बन्धी जो कथन है हमे स्वीकार्य है। मगन प्रार्थी व सहखातेदारों को परेशानी का सामना करने का जो कथन किया है व प्रार्थी स्वयं साबित करे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में हिस्साकरी दुरुस्त करने का अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं फूली देवी पत्नी अचलाराम, सोमाराम, विशनाराम, महेन्द्र, नरपतराम पुत्र अचलाराम, गुड्डीदेवी पुत्री अचलाराम, रेसीदेवी पत्नी मूलाराम, मुकेश पुत्र मूलाराम, सुखाराम पुत्र मूलाराम, टाउराम पि. पेमाराम 34.00 बीघा, धारूराम, शंकरराम पि. लालूराम 22.06 बीघा, बालीदेवी पत्नी भेराराम, जेताराम, हंसाराम पि. भेराराम, खेमाराम पि. कोशलाराम 44.14 बीघा, खेमाराम पिता कोशलाराम 15.00 बीघा, खुशलाराम पुत्र लोगाराम, 90.00 बीघा, रामूराम पुत्र नैनाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम 33.10 बीघा, सांगाराम पुत्र बुधाराम, रामूराम पि. नैनाराम 12.00 बीघा, जीवनराम, गोरधनराम, दीपाराम, घेवरराम, हरचंदराम पि. मलाराम 15.00 बीघा दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)
सहायक कलक्टर, शेरगढ़
जिला जोधपुर



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ(जोधपुर)

क्रमांक / कोर्ट / रीडर / 2019 / 602

दिनांक 06.09.2019

प्रेषित :- तहसीलदार शेरगढ

विषय :- निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सख्या खुशालाराम बनाम अचलाराम में निर्णय पारित किया गया है जिसकी प्रति आपको भेजी जा रही है नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे ।


उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ
सहायक न्यायाधीश
जिला जोधपुर